ADITYA BIRLA
HINDALCO

दिनांक 28.03.2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट, सोनभद्र ।

विषयः जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबध में ।

संदर्भः 1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या पी0 38/81-2-2023-800(14)/ 2023 दिनांक 20.03.2023
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 3030 / 11–सी–FP/UP/TRANS/140402/2021 दिनांक 23.03.2023 ।
3. आपका पत्रांक 3237 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक 24.03.2023 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें ।

विषयांकित नवीनीकरण प्रस्ताव से संबंधित इंगित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पांच प्रतियों में प्रेषित है ।

कम सं0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	प्रस्ताव के पृष्ठ-2 पर रक्षित गैर वनभूमि का स्वामित्व किसका है ?	इस बिंदु का उत्तर प्रभाग स्तर से अपेक्षित है।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ-23 पर रक्षित मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य न होने के कारण जबकि अलग-अलग अवधि में दिया गया है स्पष्ट किया जाए।	प्रस्तावित वन भूमि पर वर्ष 1972 से 132 के.वी. विधुत पारेषण लाइन निर्मित है। वर्तमान में इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना है जिसके कारण कोई मक नहीं निकलेगा और उसके निस्तारण की आवश्यकता नहीं है । अतः मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।
3	प्रस्तावित परियोजना में समतुल्य गैर वन भूमि के लिए जाने से संबंधित प्रमाण पत्र /वचनबद्धता संलग्न नहीं है । क्या समतुल्य गैर वनभूमि नहीं लिया जाएगा है । कारण बताएं ?	पारेषण लाइन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस संबंधित आदेश दिनांक 28.03.2019 में चैप्टर-2 के धारा-2.5(i)के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के प्रकरण में दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कराए जाने का आदेश है जो संलग्न है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट सोनभद्र
प्रभारी... 28-03-2023

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District, Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: 91 22 6691 7001
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

ADITYA BIRLA
HINDALCO

4	विषयगत प्रकरण में फ्रेस लीज जैसा व्यवहृत किया जाता है ?	प्रश्नगत लीज प्रथम बार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 4887(2)/ 14-2-794/72 दिनांक 2-09-1972 द्वारा दिनांक 01-4-1972 से 31.03.1997 तक लीज पर 25 वर्षों के लिए आवंटित किया गया था। उक्त वन भूमि का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/04/2074/ 2000/ एफ.सी./ 726 दिनांक 06.10.2000 एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आदेश संख्या 774/ 14-2-2000-749/ 72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षों के लिए दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया था। संस्थान द्वारा पुनः 25 वर्षों के लिए दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक नवीनीकरण किए जाने हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव (हार्ड कॉपी) में प्रस्तुत किया गया।
5	वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णतः जांच हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3261/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक 10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) के अनुमोदनांपरान्त उपलब्ध कराया जाए।	इस बिंदु के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक 25 वर्षों हेतु नवीनीकरण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव संस्थान के पत्र दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्रभाग में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के समय भारत सरकार का आदेश दिनांक 10.01.2023 लागू नहीं था।
6	प्रस्ताव के पृष्ठ-22 रंक्षित प्रमाण पत्र प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है ?	इस बिंदु का उत्तर प्रभाग स्तर से अपेक्षित है।
7	प्रस्ताव में परियोजना की श्रेणी पारेषण लाइन तो है परंतु किस सीमा तक लीनियर माना जाए ? स्पष्ट किया जाए।	भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन पत्र दिनांक 28.03.2019 के चैप्टर-11 के धारा-11.2 के अनुसार प्रस्ताव पूर्णतया लीनियर की श्रेणी में आता है। जो संलग्न है।

अतः श्रीमान्जी से अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

28/03/2023

(विवेक कुमार)
हेड–लीगल

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (हार्डकापी पॉच प्रति)

Hindalco Industries Limited
P.O. Renukoot-231217, District, Sonebhadra, Uttar Pradesh, India
T: +91 5446 252077-79/254791-96 I Fax: +91 5446 252107/252427 I E: hindalco@adityabirla.com I W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
T: +91 22 6691 7000 I Fax: 91 22 6691 7001
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

vivo X50